न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी:– श्री अखिलेश कुमार पिपल आर.ए.एस.

अपील संख्या:–189/2019 (RCMS No. 2019/00197) (धारा 76राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. जगरूप पुत्र मांगीलाल जाति गुजर उम्र 58 साल पेशा काश्त निवासी ग्राम जटवाडा कला तहसील व जिला सवाई माधोपुर
2. हंसराज पुत्र मांगीलाल जाति गूजर उम्र 75 साल पेशा काश्त निवासी जटवाडा कला तहसील व जिला सवाई माधोपुर

..........अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर सवाई माधोपुर
2. लैण्ड होल्डर तहसीलदार सवाई माधोपुर

..........रैस्पोडैन्टस

अपील विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर दिनांक 16.12.2019 अपील संख्या105/2019 जगरूप, हंसराज बनाम सरकार व तहसीलदार सवाई माधोपुर मु.नं. 63/2019 निर्णय दिनांक 26.02.2019

उपस्थिति:–

1. बालकृष्ण उपाध्याय, वकील अपीलान्ट
2. सरकारी पैरोकार

नि र्ण य

दिनांक :–09.02.2023

1. यह अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर के निर्णय दिनांक 16.12.2019 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलान्ट के विरूद्ध पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर आराजी ख.नं. 723 रकवा 0.16 है. किस्म गैर मुमकिन पहाड पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुये एक तरफा में दिनांक 26.02.2019 को 90 दिवस के सिविल कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश लैण्ड होल्डर तहसीलदार सवाई माधोपुर द्वारा पारित किया गया। अपीलान्ट ने जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

समक्ष अपील प्रस्तुत की। यहाँ से प्रथमतः जिला कलक्टर सवाई माधोपुर ने अपीलान्ट का प्रथम दृष्टया केस मानते हुये सिविल कारावास की सजा को स्थगित करने का आदेश पारित किया परन्तु बहस सुनकर दिनांक 16.12.2019 को अपीलान्ट की अपील को खारिज कर दिया जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडैन्टस व तहत न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

4. दौराने बहस विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील मीमो के कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य हैं। विवादित आराजी पर अपीलान्ट अपने पूर्वजों के समय से ही 40 वर्ष से निवास कर रहा है। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त स्थान पर नवीन आबादी बसाई जाकर उक्त भूमि को आबदी में परिवर्तित कराने हेतु राज्य सरकार को लिखा है। आराजी ख.सं. 723 किस्म गैर मुमकिन पहाड में से 1 बीघा भूमि आबादी के विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा आबादी घोषित कर दी है किन्तु नक्शा ट्रेस में जिस स्थान पर आबादी भूमि की तरमीम की गई वह वास्तव में आबादी न होकर पुरानी तलाई है जहाँ पानी भरा रहता है। ग्राम पंचायत द्वारा इस तरमीम के स्थान पर वर्तमान में जहाँ आबादी पिछले 40 सालों से बसी हुई है उसे तरमीम हेतु चिन्हित किये जाने का अनुरोध किया है जिस पर कार्यवाही विचाराधीन चल रही है। उक्त भूमि पर काफी संख्या में लोग विगत 40 सालों से रह रहे हैं। अपीलान्ट के विरूद्ध न्यायालय नायब तहसीलदार सवाई माधोपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.02.2019 जिसके द्वारा अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुये देखदल करने शास्ती लगाने व सिविल कारावास से दण्डित किया है को खारिज करते हुये अपीलाधीन ओदश को निरस्त किया जावे।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक का कथन है कि हर दो अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किये गये हैं। जिनमें किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। पटवारी हल्का जटवाडा कला द्वारा मौके पर जाकर मौका निरीक्षण किया है, जिसकी भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा अनुशंषा भी की गई है। अपीलान्ट विवादित आराजी पर बार बार अतिक्रमण करने का आदी है, जो पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अपीलान्ट ने अपनी अपील में यह स्वयं माना है कि उसका विवादित भूमि पर 40 वर्षों से कब्जा रहा है। जिससे अपीलान्ट के पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने की पुष्टि होती है। अपीलान्ट का यह कथन की उक्त भूमि को सेट अपार्ट किये जाने हेतु राज्य सरकार को अभिशंषा भिजवाई गई है। जिसके संबंध में कोई दस्तावेज अपीलान्ट द्वारा पेश नहीं किया गया है। नायब तहसीलदार के न्यायालय में अपीलान्ट की विधिवत तामील स्वयं पर हुई है एवं नोटिस पर स्वयं अपीलान्ट के

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

हस्ताक्षर हैं। अपीलान्ट का यह कथन गलत है कि नोटिस की तामील विधिवत नहीं हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद परीक्षण पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया अपनाते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधिसम्मत् है, जो किसी भी प्रकार से अवैधानिक नहीं है। ऐसी स्थिति में हर दो अधीनस्थ न्यायालयों ने जो निर्णय पारित किये हैं, वह सही हैं। अतः अपील खारिज की जावे।

6. हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा 91 एल आर एक्ट के तहत दिनांक 26.02.2019 को न्यायालय नायब तहसीलदार सवाई माधोपुर ने अपीलान्ट को खसरा संख्या 723 गैर मुमकिन पहाड रकवा 0.16 है0 पर बेदखल किया जाकर अर्थदण्ड से दण्डित किया साथ ही 3 माह का सिविल कारावास भी किया। जिसके विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर सवाई माधोपुर में प्रथम अपील दायर की। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 16.12.2019 को खारिज करते न्यायालय नायब तहसीलदार के आदेश को यथावत रखा।

7. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि अपीलान्ट के विरूद्ध हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 28.01.2019 को रिपोर्ट विवादित आराजी पर मकान बाडा बनाकर पश्चातवर्ती कब्जा करने की रिपोर्ट तहसीलदार सवाई माधोपुर को दी। जिसके क्रम में तहसीलदार द्वारा 11.02.2019 को नोटिस जारी करते हुये बाद सुनवाई दिनांक 26.02.2019 को अपीलान्ट के विरूद्ध शास्ती लगाते हुये विवादित आराजी से बेखल करने व सिविल कारावास का निर्णय पारित किया। नोटिस जारी किये जाने पश्चात तथा निर्णय किये जाने से पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत जटवाडा कला द्वारा आराजी ख.नं. 3029/723 रकवा 0.25 हैक्टे. की तरमीम दुरूस्ती हेतु ग्राम सभा के प्रस्ताव 18.02.2019 के क्रम में पत्र उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर को प्रेषित किया। उसी दिनांक को उपखण्ड अधिकारी ने तहसीलदार सवाई माधोपुर से रिपोर्ट आबादी भूमि के तरमीम के संबंध में चाही गई। उपखण्ड अधिकारी के पत्र का उल्लेख तहसीलदार भू अभिलेख सवाई माधोपुर के पत्र दिनांक 13.05.2019 में संदर्भित किया हुआ है। तहसीलदार सवाई माधोपुर द्वारा अपने उक्त पत्र के माध्यम से यह जॉच रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुये कथन किया कि प्रकरण की जॉच भू अभिलेख निरीक्षक जटवाडा कला से कराई जिसके अनुसार खं.सं. 723 में से श्रीमान जिला कलक्टर महोदय सवाई माधोपुर के आदेश क्रमांक एफ.12(59)आबादी/राजस्व/2001/2152–59 दिनांक 11.03.2002 द्वारा 0.25 है. भूमि आवंटित हुई है। जिसकी नक्शा ट्रेस में ख.सं. 3029/723 रकवा 0.25 है. की तरमीम की गई किन्तु उक्त जगह पर वर्तमान में तलाई बनी हुई है। जिसमें पानी भरा हुआ है जो आबादी के रूप में अनुपयुक्त है। स्वीकृत आबादी का प्रस्तावित नक्शा गत ख.न. 185 का बना है। सरपंच ग्राम पंचायत जटवाडा कला व अन्य व्यक्ति स्वीकृत आबादी की तरमीम ख.सं. 724 के लगते हुये ख.सं 723 की पूर्व दिशा में करवाना चाहते हैं। प्रस्तावित भूमि पर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

अपीलान्ट व अन्य व्यक्ति का कब्जा करके बाडा व परिवार सहित रहते हैं। अपनी रिपोर्ट के साथ तहसीलदार ने उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर को हल्का पटवारी व आई.एल.आर. की रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस जिसमें पूर्व तरमीम व प्रस्तावित तरमीम का उल्लेख प्रस्तुत किया। जमाबन्दी संवत् 2073–76 में भी ख.सं. 3029/723 रकवा 0.25 है. को गैर मुमकिन आबादी के रूप में दर्ज करते हुये ग्राम पंचायत जटवाडा कला के नाम किये जाने का स्पष्ट अंकन है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आबादी के नक्शा में तरमीम शुद्धि का प्रकरण उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर के यहाँ विचाराधीन चल रहा है। जब तक उक्त प्रकरण का नक्शा तरमीम बावत् प्रकरण का विधि अनुसार निस्तारण नहीं किया जाता। तब तक अपीलान्ट को विवादित आराजी से बेदखल किया जाना न्यायालय के मत में न्यायोचित नहीं हैं। तद्नुसार अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा विचाराधीन विवादित आराजी पर नक्शा तरमीम के प्रकरण को निर्णय दिनांक से तीन माह में आवश्यक रूप से विधि पूर्वक निस्तारण किया जावे, तब तक न्यायालय नायब तहसीलदार के मु.नं. 63/2019 आदेश दिनांक 26.02.2019 एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.12.2019 की पालना व क्रियान्विति स्थगित रखी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.02.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

09-02-2023

(अखिलेश कुमार पिपल)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर